Farm Lands on Agricultural Land

756. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the photo appearing in the *Hindustan Times*, dated 2nd February, 1999, captioned "Farmland turns into concrete jungle"

(b) if so, the details thereof;

(c) the action taken by Government in this regard;

(d) the details of such other complexes that are situated on agricultural land in Delhi;

(e) the action taken/proposed to be taken against them;

(f) the details of farm houses in Rajokari and Rangpuri Villages in Delhi that have made construction in area more than the permissible limit; and

(g) what action Government propose to take in those cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATRAYA): (a) Yes, Sir.

(b) DDA has reported that the complex comprising 60 shops with sheds behind it falls in kh. No. 6/18 of Village Samapur. This land is unacquired. The complex appears to be more than 4-5 years old.

(c) DDA has taken action under DDA Act and sealed the premises on 17.2.99.

(d) and (e) DDA has reported that no separate size-wise and use-wise record of building is maintained by them and all buildings on their lands, which do not have approval, are recorded as unauthorised construction. MCD has reported that no such complex is noticed on agricultural land under their jurisdiction. Action is taken as and when any unauthorised construction is detected on the agricultural land.

(f) and (g) MCD has reported that there are 35 Nos. of farm houses whose plans have been sanctioned in Rajokari and Rangpuri. Four cases are reported to have made construction more than the permissible limits. Action against the defaulters is taken as per the relevant rules.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की धीमी प्रगति

757. **श्री ओम प्रकाश कोहली:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसका कार्यान्वयन कब तक पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना को केन्द्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सदस्य राज्यों और निजी क्षेत्र के साझे प्रयासों के जरिए कार्यान्वित करने की संकल्पना की गई है जहां भूतल परिवहन, रेलवे और संचार जैसे केन्द्रीय मंत्रालय की कोर क्षेत्रीय अवस्थापना नेटवर्क के विकास की जिम्मेदारी है वहीं हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सदस्य राज्यों को भूमि का अधिग्रहण और विकास करना है और एकीकृत-उपनगरों के लिए सभी संबंधित स्थानीय अवस्थापना आधार तैयार करना है।

केन्द्रीय मंत्रालयों और सदस्यों राज्यों, दोनों के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण चालू क्षेत्रीय योजना, जिसका परिपेक्ष्य वर्ष 2001 है, के विकास कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित करने में कठिनाई आ रही है।

नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 58,000 करोड़ रुपए की कुल निवेश आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इसका 65% निजी क्षेत्र से आने की संभावना है। सार्वजनिक क्षेत्र एजेंसियों द्वारा कुछ निवेश पहल, विशेषतः कोर क्षेत्रीय अवस्थापना और उपनगर विकास के लिए, करना अनिवार्य है ताकि निजी क्षेत्र को उद्योगों की आर्थिक अवस्थापना और होलसेल ट्रेड में